न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 16 सन 2020
अनवान :–

1. हरीसिह पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी ननाउ नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 16/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 583/285 की कुल 8.5640हैक में से 1/18 व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 584/341 की कुल 37.0370हैक में से 2709/74614 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रामसिह पुत्र सुरजाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हरीसिह पुत्र सुरजाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम हरीसिह पुत्र सुरजाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 583/285 की कुल 8.5640हैक में से 1/18 व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 584/341 की कुल 37.0370हैक में से 2709/74614 हिस्सा भूमि में वादी का नाम रामसिह पुत्र सुरजाराम के स्थान पर रामसिह पुत्र सुरजाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 583/285 की कुल 8.5640हैक में से 1/18 व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 584/341 की कुल 37.0370हैक में से 2709/74614 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रामसिह पुत्र सुरजाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हरीसिह पुत्र सुरजाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम हरीसिह पुत्र सुरजाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 583/285 की कुल 8.5640हैक्ट में से 1/18 व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 584/341 की कुल 37.0370हैक्ट में से 2709/74614 हिस्सा भूमि सायल खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम रामसिह पुत्र सुरजाराम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम रामसिह पुत्र सुरजाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम हरीसिह पुत्र सुरजाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज होना प्रतित होता है प्रार्थी /सायल ने अपने कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार भी सायल का नाम हरीसिह पुत्र सुरजाराम होना प्रतित होता है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 583/285 की कुल 8.5640हैक्ट में से 1/18 व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 584/341 की कुल 37.0370हैक्ट में से 2709/74614 हिस्सा में सायल का नाम रामसिह पुत्र सुरजाराम अंकित है के स्थान पर हरीसिह उर्फ रामसिह पुत्र सुरजाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 16 / 2020 अनवानी हरीसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. हरीसिह पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 16 / 2020 अनवानी हरीसिह बनाम सरकार में दिनांक 16/03/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 583 / 285 की कुल 8.5640हैक्ट में से 1 / 18 व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 584 / 341 की कुल 37.0370हैक्ट में से 2709 / 74614 हिस्सा में सायल का नाम रामसिह पुत्र सुरजाराम अंकित है के स्थान पर हरीसिह उर्फ रामसिह पुत्र सुरजाराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)